दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

470

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R 2614 III/14

मालती पुत्री कालीचरन पत्नी वृजकिशोर निवासी गुधौरा तहसील चंदला जिला छतरपुर (म.प्र.) -- आवेदिका

विरूद्ध

1. माया पुत्री सुन्दरलाल
2. रामकिशोर पुत्र सुन्दरलाल
3. वृजकिशोर पुत्र सुन्दरलाल निवासीगण गुधौरा तहसील चंदला जिला छतरपुर (म.प्र.) ---अनावेदकगण

19.8.14

19-8-14

19/8/14

न्यायालय तहसीलदार चंदला जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 73/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चंदला जिला छतरपुर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, ग्राम गुधौरा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 434, 435, 443, 446 एवं 447 कुल किता 5 कुल रकवा 5.753 हैक्ट्यर का वसीयतनामा दिनांक 30.03.03 के आधार पर नामान्तरण का आवेदन आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में विधिवत् जॉच की जाकर वसीयतनामा को प्रमाणित मानकर नामान्तरण के आदेश तहसीलदार चंदला द्वारा आवेदिका के हित में दिये गये थे। जिसे बाद में दिनांक 13.09.2013 को निरस्त करने का जो आदेश तहसीलदार चंदला द्वारा पारित किया गया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि विचारण न्यायालय तहसीलदार चंदला द्वारा प्रकरण मे विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन किया गया था एवं आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थीं। जिसमें अनावेदकगण द्वारा स्वंय उपस्थित होकर नामान्तरण में सहमति दी गयी थी। ऐसी स्थिति में सहमति के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया था। जिसे बिना किसी कारण के अपास्त करने में तहसीलदार चंदला द्वारा वैधानिक त्रुटि की गयी है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

2

470

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2614-तीन/2014 जिला छतरपुर मालती विरूद्ध माया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार चंदला के प्रकरण क्रमांक 73/अ-12/2012-13 सीमांकन आदेश दिनांक 13-09-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 25/01/19 (आर.के. जैन) सदस्य	